-:प्रेस नोट दिनांक 01.09.2020:-
थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

थाना शीशगढ़ जनपद बरेली पुलिस द्वारा वांछित चल रहे टॉप टेन व सक्रिय/एचएस अभियुक्त रफीक उर्फ बुद्धा को दौराने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया एवं उसके कब्जे से 1 अदद तमन्चा देशी 315 बोर, नाल में फंसा 1 खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद बछड़ा (गौवंशीय पशु) व पशु काटने के उपकरण (एक अदद छुरी लोहा, एक कुल्हाड़ी व एक चापड़) बरामद किये गये ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व वांछित टॉप टेन व सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के अनुक्रम में थाना शीशगढ़ पुलिस को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि कुछ बदमाश गौवंशीय पशुओं की तस्करी कर काटने की फिराक में है जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो दो व्यक्ति ढकिया डाम के पास गौवंशीय पशु की वध की तैयारी में थे जिनको रोका व टोका गया तो पुलिस पर फायर दिया गया जबाबी फायरिंग में मौके से अभियुक्त रफीक उर्फ बुद्धा पुत्र मो0 शरीफ नि0 ग्राम जाफरपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली को दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल अवस्था में दौराने पुलिस मुठभेड़ आज दिनांक 01.09.2020 को समय करीब 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 अदद तमन्चा देशी 315 बोर, नाल में फंसा 1 खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद बछड़ा (गौवंशीय पशु) व पशु काटने के उपकरण (एक अदद छुरी लोहा, एक कुल्हाड़ी व एक चापड़) बरामद हुआ है । जिसे उपचार हेतु सीएचसी बहेड़ी भेजा गया एवं अभियुक्त राशिद पुत्र कल्लू निवासी जाफरपुर थाना शीशगढ जनपद बरेली मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । दौराने पुलिस मुठभेड़ पुलिस कर्मी का0 1862 अमित शर्मा के दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गया है । जिसे उपचार हेतु सीएचसी बहेड़ी भेजा गया है ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रफीक उर्फ बुद्धा पुत्र मो0 शरीफ नि0 ग्राम जाफरपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के विरुद्ध मु0अ0सं0 192/2020 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 193/2020 धारा 3/25 ए एक्ट व मु0अ0सं0 194/2020 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त रफीक उर्फ बुद्धा उपरोक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. रफीक उर्फ बुद्धा पुत्र मो0 शरीफ नि0 ग्राम जाफरपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 154/05 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
2. मु0अ0सं0 155/05 धारा 302 भादवि थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
3. मु0अ0सं0 101/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खुजरिया जनपद रामपुर ।
4. मु0अ0सं0 234/10 धारा 394/411 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर ।
5. मु0अ0सं0 911/11 धारा 379/411 भादवि थाना शेरगढ़ जनपद बरेली ।
6. मु0अ0सं0 185/10 धारा 379/411 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर ।
7. मु0अ0सं0 235/10 धारा 307 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर ।
8. मु0अ0सं0 238/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर ।
9. मु0अ0सं0 61/19 धारा 13 जुआ अधि0 थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
10. मु0अ0सं0 41/20 धारा 3/5/8 सीएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
11. मु0अ0सं0 192/20 धारा 307 भादवि थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
12. मु0अ0सं0 193/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
13. मु0अ0सं0 194/20 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर व नाल में फंसा 1 खोखा कार0 मय 2 अदद जिंदा कार0 315 बोर,
2. एक अदद बछड़ा (गौवंशीय पशु),
3. पशु काटने के उपकरण (एक अदद छुरी लोहा, एक कुल्हाड़ी व एक चापड़)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्र0नि0 राजकुमार तिवारी
2. उ0नि0 श्री नरगेश कुमार
3. उ0नि0 दिनेश कुमार
4. हे0का0 286 वीरेश कुमार
5. का0 202 अमरीश कुमार
6. का0 1886 मो0 यामीन
7. का0 1862 अमित शर्मा
8. का0 2852 शुभम कुमार
9. का0 2312 जनेश्वर
10. का0 1231 कमल किशोर

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली ।